रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-10082021-228843
CG-DL-W-10082021-228843

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 14] नई दिल्ली, अगस्त 1— अगस्त 7, 2021, शनिवार/ श्रावण 10 — श्रावण 16, 1943
No. 14] NEW DELHI, AUGUST 1— AUGUST 7, 2021, SATURDAY/ SRAVANA 10 — SRAVANA 16, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2021

का.नि.आ. 28.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय सशस्त्र सेना चिकित्सा भंडार डिपो,हिन्दी अधिकारी समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2005 अधिक्रांत करते हुए अब सहायक निदेशक (राजभाषा) के रूप में पुन: अभिहित और समूह 'क' उन्नत करते हुए, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है,रक्षा मंत्रालय, महानिदेशक सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की निम्न विरचनाओं में सहायक निदेशक (राजभाषा) समूह 'क' पद के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, महानिदेशक सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा सहायक निदेशक (राजभाषा) समूह 'क' पद पर भर्ती नियम 2021 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतन मान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—**उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है ;या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने कि शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार कि यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हैं, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके,तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों कि बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स मे स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) सहायक निदेशक (राजभाषा)	03* (2021) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित (अननुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रु.)	चयन पद	35 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण :-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अर्हताएँ : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो ; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसमे डिग्री स्तर पर हिन्दी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो ; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी माध्यम से हिन्दी और अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषयमें मास्टर डिग्री जिसमे डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो ; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से हिन्दी और अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमे डिग्री स्तर पर हिन्दी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो ; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी और अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमे डिग्री स्तर पर अँग्रेजी और हिन्दी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय रहें हों या इन दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम के रूप में रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो । **अनुभव :** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारें या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थाओं के अधीन अँग्रेजी से हिन्दी या विपर्यय से तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य अधिमानत: और हिन्दी में अनुप्रयुक्त शब्दाबली (परिभासिक कार्य) में उपयोग के तीन वर्ष अनुभव ; या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारें या स्वायत्य निकाय या कानूनी संगठनों या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधीन हिन्दी और अँग्रेजी या हिन्दी या अँग्रेजी में शोध के अध्यापन में तीन वर्ष के अनुभव ।	नहीं	सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए एक वर्ष	33 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा। 67 प्रतिशत अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर भर्ती द्वारा ।

वांछनीय: मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वीं कक्षा पर भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल हिन्दी से भिन्न भाषाओं मे से एक अध्ययन किया हो । **टिप्पण 1** :अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणौ के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2** : अनुभव संबधि अर्हता (अर्हताएँ) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं हैं ।			

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा मे वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स (44900-142400/- रु) स्तर-7 में ऐसा वरिष्ठ अनुवादक जिसने श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की हो । **प्रतिनियुक्ति** (अल्पकालिक संविदा सहित):- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त या कानूनी संगठन पब्लिक सैक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या अनुसंधान संस्थान (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में सदृश पद धारण करते हों या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (53100 -167800 रु) के स्तर-9 या वेतन मेट्रिक्स (47600-151100 रु) में स्तर-8 या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में दो वर्ष सेवा की हो या (iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रु) में स्तर-7 या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो और (ख) स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों । **टिप्पण 1** : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति के अवधि हैं साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति द्वारा, नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3** : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो,वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमे से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 4** : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति मे है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नही होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष ; 2 रक्षा मंत्रालय में संबंध प्रशासनिक रूप से संयुक्त सचिव – सदस्य ; 3. अपर महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा (ऊपस्कर और भंडार) – सदस्य । **समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-** 1. रक्षा मंत्रालय में संबंध प्रशासनिक रूप से संयुक्त सचिव – अध्यक्ष ; 2. अपर महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा (ऊपस्कर और भंडार) – सदस्य ; 3. उपसचिव/निदेशक, रक्षा मंत्रालय – सदस्य ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा.सं 11375/आरआर/एडी (ओएल)/डीजीएएफएमएस/डीजी-2बी/90/रक्षा(नि.)/2021]

देवेन्द्र कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 22nd July, 2021

S.R.O. 28.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Defence, Armed Forces, Medical Stores Depot, Hindi Officer Group 'B' Posts, Recruitment Rules, 2005, now re-designated as Assistant Director (OL) and upgraded to Group 'A', except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Official Language) Group 'A' Post in the Ministry of Defence, lower formations of Director General, Armed Forces Medical Services, namely:-

1. **Short title and commencement.—**(1)These rules may be called the Ministry of Defence, Director General Armed Forces Medical Services, Assistant Director (Official Language) Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2021.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.** -The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications etc.—**The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living; or

   (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. -**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Director (Official Language)	03* (2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500).	Selection post	Not exceeding 35 years. Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by transfer or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential qualification: Master's degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree of a recognised University in any subject other than English or Hindi, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree of a recognised University in any subject other than	No.	One year for direct recruits and promotees.	33 percent by promotion failing which by deputation including short term contract. 67 percent by deputation including short term contract failing which by direct recruitment.

Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at the degree level; or Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level. **Experience:** Three years experience of using or applying Terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature under Central or State Governments or autonomous body or statutory organisations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research or educational institutions; or Three years experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central or State Governments or autonomous body or statutory organisations or Private Sector Undertakings or Universities or recognised research or educational institutions. **Desirable qualification:** Studied one of the languages other than Hindi included in the Eighth schedule of the Indian Constitution at 10th class from a recognised Board. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, Union Public Service Commission is			

of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(11)
Promotion: Senior Translator in the level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) with three years regular service in the grade rendered thereto and have successfully completed the training as prescribed. **Deputation** (including short term contract) : Officers of the Central Government or State Government or Union territory administration or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or recognised Universities or institute or research institutions: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the level-9 in the pay matrix (Rs. 53100-167800) or level -8 in the pay matrix (47600-151100) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1**:Period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2**:The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding 56 years' as on the last date of receipt of applications. **Note3:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided there are not short of the requisite qualifying or eligibility service more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 4**:The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	**(13)**
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman; 2. Joint Secretary administratively concerned in the Ministry of Defence - Member;	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

3. Additional Director General Armed Forces Medical Services (Equipment and Stores) - Member. **Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-** 1. Joint Secretary administratively concerned in the Ministry of Defence - Chairman; 2. Additional Director General Armed Forces Medical Services (Equipment and Stores) - Member; 3. Deputy Secretary or Director in the Ministry of Defence - Member.	

[F. No. 11375/RR/AD(OL)/DGAFMS/DG-2B/90/D(Appts)/2021]

DEVENDRA KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2021

का.नि.आ. 29.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय के अधीन सैनिक इंजीनियर सेवाएं (आशुलिपिक श्रेणी-II और श्रेणी-III) भर्ती नियम, 2004 का उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय में सैनिक इंजीनियर सेवाएं में आशुलिपिक श्रेणी-II के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सैनिक इंजीनियर सेवाएं, आशुलिपिक श्रेणी-II भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन मेट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबध्द अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं, इत्यादि.**—उक्त पद पर भर्ती की पध्दति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति.–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा भी है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा भी है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक श्रेणी-II	348* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधरण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय ।	वेतन मेट्रिक्स स्तर 4 (₹ 25500- 81100)	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष के मध्य । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों या नियमों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकेगी।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जायेगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा / प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पध्दतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता ।
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण ; (ii) कौशल परीक्षा के मानक: श्रुतलेख (डिक्टेशन) 80 शब्द प्रति मिनट की दर से दस मिनट प्रति लेखन (ट्रांसक्रिप्शन): अंग्रेजी में 50 मिनट, हिंदी में 65 मिनट (कंप्यूटर पर)	लागू नहीं होता	दो वर्ष । **टिप्पण:** सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह की अवधि के अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण का सफल समापन परीवीक्षा को पूरा करने के लिए आवश्यक होगा।	कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती। **टिप्पण:** प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश पर या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारण रिक्त हुए पद केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर भरे जा सकते हैं जो कि अनुरूप पदों या नियमित आधार पर और स्तंभ (7) में सीधी भर्तियों के लिए विहित अर्हताएं रखते हों।

प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में सघं लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए):-** (1) मुख्य इंजीनियर या उसका नामनिर्देशती जो अधीक्षण इंजीनियर या समतुल्य की पंक्ति से नीचे का न हो -अध्यक्ष; (2) कार्यपालक इंजीनियर या समतुल्य – सदस्य; (3) समूह 'क' सिविलियन राजपत्रित अधिकारी या कमीशंड अधिकारी जिसका विभाग से संबधं न हो – सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा.सं.पीसी-1/76005/आर.आर./स्टेनो ग्रेड –II/ सी.एस.सी.सी./175/र.(नि)/2021]

देवेन्द्र कुमार,अवर सचिव

New Delhi, the 4th August, 2021

S.R.O. 29.—In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution and in supersession of the Military Engineer Service, (Stenographer Gde-II and Gde-III) Recruitment Rules 2004, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Stenographer in the Military Engineer Services, Ministry of Defence, namely :-

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Military Engineer Services, (Stenographer Gde-II) Recruitment Rules 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. **Number of posts, Classifications and level in the pay matrix.—**The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.—**The method of recruitment, age-limit and other matters relating to the said post shall be as specified in Column (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. **Power to Relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Posts	Classification	Level in Pay Matrix	Whether selection Post or Non-selection Post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Stenographer Gde – II	*348 (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non Gazetted, Ministerial.	Level 4 in the pay matrix (₹ 25500-81100)	Not applicable	18-27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government.) **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 12th class pass or equivalent from a recognised Board or University; (ii) Skill Test Norms Dictation: 10 mts @ 80 w.p.m. **Transcription:** 50 mts. (Eng.) 65 mts. (Hindi) (On computer)	Not applicable	Two years **Note**: Successful completion of mandatory induction training of atleast two weeks duration in the relevant field shall be pre-requisite for completion of probation.	Direct recruitment through Staff Selection Commission **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the central Government holding analogous posts or regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits at Column (7).

In case of recruitment by promotion / deputation or absorption, grades from which promotion / deputation or absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition?	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation):-** (i) Chief Engineer or his nominee not below the rank of Superintending Engineer or equivalent -Chairman	Not Applicable

	(ii) Executive Engineer or equivalent - Member (iii) Group 'A' Civilian Gazetted officer or a Commissioned officer not connected with the Department - Member	

[F. No. PC-1/76005/RRs/Steno Gde-II/CSCC/175/D(Apptts)/2021]

DEVENDRA KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.08.10 11:28:55 +05'30'